प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.11.2024

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 मोबाइल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 06.11.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. प्रवीन उर्फ जूस पुत्र श्री किशन उर्फ नन्दू निवासी म0न0 485 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष, 2. अजय पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी सेवाराम के आफिस के पास, डी ब्लॉक गगन विहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद मूल पता गुर्जर चौक के बगल में डिफेंस कॉलोनी थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, 3. सन्नी उर्फ तमंचा उर्फ गौपाल पुत्र श्री चन्द्रपाल निवासी भौपुरा ठेके के पास पार्किंग तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को तुलसी निकेतन छात्रावास के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 मोबाइल फोन बरामद हुए । अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त गण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि इन तीनों अभियुक्तों उपरोक्त से बरामद 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 मोबाइल फोन को दिल्ली से चोरी किया गया था । ये तीनों अभियुक्त मिलकर मोटर साइकिल, स्कूटी व मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कारित करते है । आज ये तीनों अभियुक्त चोरी किये गये दो पहिया वाहन व मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में इधर उधर घूम रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :

1. प्रवीन उर्फ जूस पुत्र श्री किशन उर्फ नन्दू निवासी म0न0 485 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष ।
2. अजय पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी सेवाराम के आफिस के पास, डी ब्लॉक गगन विहार थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता गुर्जर चौक के बगल में डिफेंस कॉलोनी थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ।
3. सन्नी उर्फ तमंचा उर्फ गौपाल पुत्र श्री चन्द्रपाल निवासी भौपुरा ठेके के पास पार्किंग तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीन उर्फ जूस के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर मारपीट का 01 अभियोग, थाना हर्ष विहार दिल्ली, थाना नन्द नगरी व थाना शाहदरा दिल्ली में चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है । कुल 04 अभियोग पंजीकृत है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त अजय के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग, थाना नन्द नगरी व थाना शाहदरा दिल्ली में चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है । कुल 03 अभियोग पंजीकृत है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ तमंचा के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व थाना टीला मोड़ पर चोरी की सम्पत्ति की बरामदगी का 01 अभियोग, थाना नन्द नगरी व थाना शाहदरा दिल्ली में चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है । कुल 04 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

- थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 05.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त कलीम पुत्र इदरीश निवासी गिरी मार्केट लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को दौलत नगर के पास से थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह स्कूटी दिनांक 02.07.2024 को अखाडे वाली गली अशोक विहार थाना क्षेत्र लोनी से चोरी की थी। आज मैं इसे बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम /पता-

कलीम पुत्र इदरीश निवासी गिरी मार्केट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी जान-पहचान के अब्बास द्वारा उसे कोल्ड्रिंक मे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करना, उसके गहने व रुपये ले लेना,

आवेदिका की अश्लील वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.11.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अब्बास खान पुत्र मुजिबुर्रहमान निवासी चुंगी वाली गली रशीद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, उम्र करीब 23 वर्ष को तिगरी बहरमापुर अण्डरपास के पास से थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वर्ष 2021 में मेरी मुलाकात पीडिता से इंस्टाग्राम पर हुई थी तथा हम दोनों आपस में काफी बात चीत करते रहते थे। धीरे धीरे हम दोनों ने आपस में मिलना-जुलना शुरु कर दिया। मैंने पीडिता को बताया कि मैं एक कम्पनी में प्राईवेट जॉब करता हूँ तथा मेरी कम्पनी के अच्छी जानकारी है। मैंने पीडिता को उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर झांसे में ले लिया तथा उससे मीठी-मीठी बातें करके अपने जाल मे फंसा लिया तथा एक दिन मौका पाकर उसको कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे। मुझे पैसों की जरुरत थी तो मैंने उससे कुछ रुपये ले लिये थे तथा मैंने उसके गहनो को भी बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता-

अब्बास खान पुत्र मुजिबुर्रहमान निवासी चुंगी वाली गली रशीद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.11.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि वादी के दामाद द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट करना जिससे गम्भीर चोटें आना जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो जाना तथा वादी के दामाद द्वारा वादी को फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र मिश्रीलाल निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरा और मेरी पत्नी का झगडा हुआ था और मैंने उसके साथ मारपीट कर दी थी इसी दौरान उसके सिर में चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

राजीव कुमार पुत्र मिश्रीलाल निवासी राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक आलाकत्ल (वाईपर का डण्डा) बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद।

दिनांक 05.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि जब वह लाल कुंआ गाजियाबाद की तरफ से अपनी गाडी से आ रहा था तो 01 व्यक्ति द्वारा सृष्टि सोसायटी के पास गाडी का शीशा पीटने लगा तथा चिल्लाने लगा कि उसके पैर पर गाडी चढ गयी है तथा वादी ने उतर कर देखा तो उसकी तरफ से गाडी से दूसरे व्यक्ति द्वारा वादी के 02 मोबाइल फोन चोरी करके भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.11.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त खालिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी शौकीन गार्डन कलोनी लिसाडी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ, उम्र करीब 43 वर्ष को चित्रावन सोसायटी वाले रास्ते पर ट्यूबैल के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैंने अपने साथी उमरदराज पुत्र सरवर निवासी मकबरा डिग्गी जनपद मेरठ के साथ सृष्टि सोसाइटी के पास से एक कार में से 02 मोबाइल फोन चोरी किये थे। हम दोनों ने आपस में एक-एक मोबाइल अपने पास रख लिया था, तथा मेरे पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उस दिन चोरी किये गये मोबाइलों में से एक है दूसरा मोबाइल फोन मेरे साथी उमरदराज के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम /पता-

खालिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी शौकीन गार्डन कलोनी लिसाडी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ, उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 01 मोबाइल ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ में चोरी व गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.11.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान अभियुक्त विवेक पुत्र नत्थुराम निवासी किरायेदार मंदिर के पास चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 32 वर्ष को चित्रावन सोसायिटी के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं छोटी मोटी चोरी करने की फिराक में रात में घूम रहा था तथा पकडे जाने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने अपने पास अवैध तमंचा रखा हुआ था जिससे पकड़े जाने पर दिखाकर डराकर मौके से भाग सकूं लेकिन पुलिस चोकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

विवेक पुत्र नत्थुराम निवासी किरायेदार मंदिर के पास चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-
अभियुक्त के विरुद्ध थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर NDPS अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मोबाइल फोन पर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 01.11.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री रवि कुमार पांचाल पुत्र रोशन लाल निवासी म0 नं 11 द्वितीय फ्लोर ईडब्लएस शुभम धाम अपार्टमेंट सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से गैंग का सदस्य

बनकर धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर टीमें गठित कर मुखबिर की सूचना, मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से आज दिनांक 06.11.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपू पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम चक पोस्ट लखलौर थाना पचदेवरा जनपद हरदोई, हाल पता कस्बा मोटी भौयन थाना सांतेज जिला गाँधीनगर, गुजरात उम्र 19 वर्ष को लोहिया पार्क राजेन्द्र नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपू पुत्र श्री कृष्ण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त दीपू पुत्र श्री कृष्ण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं रवि कुमार पांचाल को फेसबुक पर वीडियो देखता रहता था और रवि कुमार पांचाल को फॉलो व वीडियो को लाइक करता था। मैने एक दिन अपने नंबर से रवि कुमार पांचाल को फोन लगाया तो रवि कुमार पांचाल ने काट दिया फिर मैं इनकी वीडियो देखता रहा फिर एक दिन मैने फोन लगाया तो रवि कुमार पांचाल द्वारा मुझे गाली दी और इन्होने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो मैने दिनांक 31.10.2024 को अपने दोस्त विनित पाल के मोबाइल फोन से रवि पांचाल को फोन लगाकर लॉरेंस बिश्नोई गैग का सदस्य बताकर धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

दीपू पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम चक पोस्ट लखलौर थाना पचदेवरा जनपद हरदोई, हाल पता कस्बा मोटी भौयन थाना सांतेज जिला गाँधीनगर, गुजरात उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।